कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 12.07.2026

□ चन्दौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह का किया गया पर्दाफाश।

□चन्दौली पुलिस की बड़ी सफलता थाना अलीनगर पुलिस ने क्रेटा कार और डीसीएम ट्रक से तस्करी कर ले जाया जा रहा 90 किलोग्राम अवैध गांजा किया बरामद, 04 शातिर तस्कर गिरफ्तार।

□बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 22.50 लाख रूपये।

चन्दौली:- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा पचपेड़वा अंडरपास (रेवसा) के पास घेराबंदी कर एक क्रेटा कार और एक डीसीएम मिनी ट्रक से कुल 90 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है और मौके से 04 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।
दिनांक 12.07.2026 को थाना अलीनगर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से अवैध गांजे की एक बड़ी खेप डीसीएम ट्रक में लादकर लाई जा रही है, जिसके आगे-आगे एक क्रेटा कार रास्ता बताते हुए (पायलटिंग करते हुए) वाराणसी की तरफ जा रही है। सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस द्वारा पचपेड़वा अंडरपास रेवसा के पास रिंग रोड पर घेराबंदी की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध क्रेटा कार (संख्या OD 33 N 6600) और डीसीएम ट्रक (संख्या HR 57 A 8858) को रुकने का इशारा किया गया, तो चालकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी करके दोनों वाहनों को पकड़ लिया। जब वाहनों की सघन तलाशी ली गई, तो क्रेटा कार की डिग्गी से 22 बंडल (22 किलोग्राम) और डीसीएम ट्रक के पिछले हिस्से में नीली पॉलिथीन के नीचे छिपाकर रखे गए 68 बंडल (68 किलोग्राम) अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे का कुल वजन 90 किलोग्राम पाया गया।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे अपने वाहन स्वामी के कहने पर ओडिशा राज्य से अवैध गांजा खरीदकर राजस्थान और दिल्ली ले जा रहे थे। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वे बंडलों में गांजा छिपाकर परिवहन कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1-काशीराम पुत्र नन्दराम, निवासी: सोनारी, थाना नौहर, जनपद हनुमानगढ़, राजस्थान (उम्र 42 वर्ष)
2-मनोज कुमार पुत्र बिन्देश्वर सिंह, निवासी: भीखनपुर धेवई, थाना मेहन्दिया, जनपद अरवल, बिहार (उम्र 50 वर्ष)
3-ज्ञानेन्द्र कुमार पुत्र महेन्दर सिंह, निवासी: म0नं0 207 ज्योनती, थाना कंझावाला, जनपद रोहिणी, दिल्ली (उम्र 38 वर्ष)
4-सुशान्त कुमार दिग्गल पुत्र बेनर्सिंह दिग्गल, निवासी: ग्राम बोट्टाबहाली, थाना गोछापूड़ा, जनपद कन्धमाल, ओडिशा (उम्र 36 वर्ष)

बरामदगी का विवरण:-

कुल 90 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 22.50 लाख रूपयें।
एक क्रेटा कार (वाहन संख्या: OD 33 N 6600)
एक डीसीएम मिनी ट्रक (वाहन संख्या: HR 57 A 8858)

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 0439/2026 धारा 8/20/60 एनडीपीएस (NDPS) एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।